# राजभाषा प्रकोष्ठ

## डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

ईमेल : rajbhasha@dhsgsu.edu.in

दूरभाष : 07582–297118

क्र. रा.भा.प्र./रा.भा.प./62/2024–25/५००१

17 जुलाई, 2025

## अधिसूचना

विश्वविद्यालयी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 37–38वीं संयुक्त तिमाही बैठक में मद सं. 5 में लिए गए संकल्प के अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य एवं उल्लेखनीय योगदान देने वाले नियमित शिक्षक संवर्ग, अधिकारी संवर्ग एवं कर्मचारी संवर्ग को **'राजभाषा पदक एवं नगद पुरस्कार'** प्रदान किया जाता है।

उक्त तारतम्य में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अधोलिखित संवर्गों से सर्वश्रेष्ठ चयन (प्रत्येक संवर्ग के लिए एक) हेतु सर्वसम्बन्धित शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन सादर आमंत्रित किये जाते हैं :–

01. शिक्षक संवर्ग

02. अधिकारी संवर्ग (समूह 'क')

03. अधिकारी/कर्मचारी संवर्ग (समूह 'ख')

04. कर्मचारी संवर्ग (समूह 'ग')

उक्त से संबंधित आवेदन–पत्र, दिशानिर्देश एवं अन्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.dhsgsu.edu.in** से डाउनलोड की जा सकती हैं। राजभाषा प्रकोष्ठ को आवेदन प्रपत्र भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 (गुरूवार) है।

संलग्नक : यथोक्त।

आदेशानुसार,

समन्वयक 17/07/2025

(राजभाषा पदक एवं पुरस्कार योजना)

एवं हिन्दी अधिकारी (प्र.)

प्रतिलिपि :

1. समस्त शिक्षकगण।
2. समस्त अधिकारीगण।
3. समस्त कर्मचारीगण।
4. मान. अध्यक्ष एवं सदस्यगण – समस्त संवर्गों के निर्णायक मंडल।
5. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ – कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
6. माननीया कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक।
7. संबंधित नस्ती।

# राजभाषा प्रकोष्ठ

# डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

## शिक्षक संवर्ग

## 'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार' हेतु आवेदन प्रपत्र

**वित्तीय वर्ष 2024–25 (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक) के दौरान हिन्दी के उत्कृष्ट प्रयोग हेतु पुरस्कार योजना**

1. शिक्षक का नाम : .....
2. पदनाम एवं विभाग : .....
3. कक्षा शिक्षण में हिन्दी प्रयोग की स्थिति : .....
   .....
4. हिन्दी ज्ञान की स्थिति (कार्यसाधक/प्रवीण) : .....
5. कम्प्यूटर पर हिन्दी में कामकाज की स्थिति : .....
6. विज्ञान/तकनीकी विषय पर हिन्दी में पुस्तक प्रकाशन (आईएसबीएन सहित) : .....
   .....
7. प्रतिष्ठित शोधपत्रिका/पत्रिका (आईएसएसएन/यूजीसी केयर लिस्ट सहित) में तकनीकी विषय पर हिन्दी में शोधपत्र/आलेख प्रकाशन : .....
   .....
8. प्रतिष्ठित पत्रिका (आरएनआई/आईएसएसएन/यूजीसी केयर लिस्ट सहित) में हिन्दी में उच्चस्तरीय नवोन्मेषी शोधालेख का प्रकाशन : .....
   .....
9. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिन्दी में व्याख्यान का प्रकाशित स्वरूप : .....
   .....
10. हिन्दी में पाठ्य सामग्री निर्माण (लक्षित समूह को स्पष्ट करते हुए) : .....
    .....
11. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में तकनीकी नवाचार : .....
    .....
12. प्रशासकीय/कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी प्रयोग की स्थिति : .....
    .....
13. हिन्दी माध्यम में अपने विषय से सम्बन्धित डिजिटल कार्यक्रमों के निर्माण की स्थिति : .....
    .....
14. राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/बैठकों/प्रतियोगिताओं/अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभागिता : .....
    .....
    .....

### घोषणा पत्र

मैं .....(नाम).....(पदनाम/विभाग) घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन प्रपत्र में दी गईं सभी सूचनाएँ एवं संलग्न साक्ष्य मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य हैं। यदि किसी स्थिति में यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य असत्य हैं तो मेरा आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

हस्ताक्षर
(शिक्षक)

**विभागाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी (अग्रेषित)**

**सामान्य निर्देश :**

1. आवेदन प्रपत्र के साथ सभी साक्ष्यों की स्वप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करें।
2. निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. एक बार आवेदन प्रपत्र (साक्ष्य/दस्तावेजों सहित) जमा होने के उपरांत उसमें अन्य कोई दस्तावेज जोड़े या घटाए नहीं जा सकेंगे।
4. आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न घोषणा-पत्र हस्ताक्षरित न होने पर आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
5. विधिवत् भरा हुआ प्रपत्र विभागाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रेषित एवं अनुशंसित होना चाहिए।
6. शिक्षक संवर्ग में 'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार' हेतु विश्वविद्यालय के समस्त विभागों (हिन्दी, संस्कृत, उर्दू विभाग एवं भाषा विज्ञान को छोड़कर) में नियमित रूप से कार्यरत समस्त प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक पात्र होंगे। पुनर्नियोजित शिक्षक/विजिटिंग प्रोफेसर/अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत शिक्षकगण इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
7. पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। पी–एच.डी. के लिए लिखे गये शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गयी या पाठ्यपुस्तक के रूप में लिखी गयी पुस्तक पात्र नहीं होगी।
8. पुस्तक (आईएसबीएन) कम–से–कम 150 पृष्ठों की होनी चाहिए।
9. संयुक्त रूप से लिखित रचना मान्य नहीं होगी।
10. पदक प्रदान किए जाने में समिति/सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

समूह 'क' के अधिकारियों हेतु

# राजभाषा पदक एवं पुरस्कार हेतु आवेदन प्रपत्र

**वित्तीय वर्ष 2024–25 (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक) के दौरान कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के उत्कृष्ट प्रयोग हेतु पुरस्कार योजना**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अधिकारी का नाम | : ..... |
| 2. | पदनाम | : ..... |
| 3. | विभाग / अनुभाग<br>(जिसमें संदर्भित वित्तीय वर्ष में पदस्थ थे) | : ..... |
| 4. | हिन्दी ज्ञान की स्थिति (कार्यसाधक / प्रवीण) | : ..... |
| 5. | फाइलों पर हिन्दी टिप्पणियों की स्थिति | : ..... |
| 6. | कम्प्यूटर पर हिन्दी में कामकाज की स्थिति | : ..... |
| 7. | मूल पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति | : ..... |
| 8. | हिन्दी / अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण की स्थिति | : ..... |
| 9. | बैठकों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति | : ..... |
| 10. | अधीनस्थ कार्मिकों को हिन्दी में कामकाज के लिए प्रेरणा व प्रोत्साहन का स्तर | : ..... |
| 11. | राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यशालाओं / तिमाही बैठकों / प्रतियोगिताओं / अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभागिता | : ..... |
| 12. | राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में तकनीकी नवाचार | : ..... |
| 13. | अधीनस्थ कार्यालय में द्विभाषी रबर मुहर / पत्रशीर्ष के प्रयोग की स्थिति | : ..... |
| 14. | अधीनस्थ कार्यालय में प्रदर्शन सामग्री / उपस्थिति पंजी / फाइलों के शीर्षक में हिन्दी प्रयोग की स्थिति | : ..... |

| | | |
|---|---|---|
| 15. | अधीनस्थ कार्यालय में धारा 3(3) से संबंधित दस्तावेजों को द्विभाषी/हिन्दी में जारी किये जाने की स्थिति | |
| 16. | हिन्दी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र के अंतर्गत प्रकाशित विशिष्ट कृतियाँ | |

**घोषणा पत्र**

मैं.....(नाम).....(पदनाम/विभाग) घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन प्रपत्र में दी गईं सभी सूचनाएँ एवं संलग्न साक्ष्य मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य हैं। यदि किसी स्थिति में यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य असत्य हैं तो मेरा आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

**अधिकारी के हस्ताक्षर**
**दिनांक : .....**

**सामान्य निर्देश :**

1. समूह 'क' के अधिकारी संवर्ग में 'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार' हेतु विश्वविद्यालय के समस्त विभागों/अनुभागों/केन्द्रों में नियमित रूप से कार्यरत समस्त अधिकारीगण, भले ही वे तकनीकी क्षेत्र के हों या प्रशासनिक क्षेत्र के, पात्र होंगे।
2. विश्वविद्यालय के सांविधिक पदों यथा– कुलसचिव, वित्ताधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष पर कार्यरत अधिकारीगणों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. आवेदन प्रपत्र के साथ सभी साक्ष्यों की स्वप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करें।
4. निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. एक बार आवेदन प्रपत्र (साक्ष्य/दस्तावेजों सहित) जमा होने के उपरांत उसमें अन्य कोई दस्तावेज जोड़े या घटाए नहीं जा सकेंगे।
6. आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न घोषणा-पत्र हस्ताक्षरित न होने पर आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
7. दस्तावेजों के साक्ष्य के तौर पर केवल उन्हीं पत्रों/आदेशों/परिपत्रों/दस्तावेजों को मान्य किया जायेगा जिन्हें वास्तव में सम्बन्धित कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। आवश्यक होने पर समिति द्वारा किसी भी समय किसी भी संलग्न दस्तावेज की जाँच की जा सकती है।
8. 'एक ही प्रकृति के दस्तावेज' या 'दस्तावेजों की पुनरावृत्ति' स्वीकार्य नहीं होगी।
9. पदक प्रदान किए जाने में समिति/सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

समूह 'ख' के अधिकारी/कर्मचारी हेतु

# राजभाषा पदक एवं पुरस्कार हेतु आवेदन प्रपत्र

**वित्तीय वर्ष 2024–25 (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक) के दौरान कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के उत्कृष्ट प्रयोग हेतु पुरस्कार योजना**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | : ..... |
| 2. | पदनाम | : ..... |
| 3. | विभाग/अनुभाग<br>(जिसमें संदर्भित वित्तीय वर्ष में पदस्थ थे) | : ..... |
| 4. | हिन्दी ज्ञान की स्थिति (कार्यसाधक/प्रवीण) | : ..... |
| 5. | फाइलों पर हिन्दी टीप/टिप्पणियों की स्थिति | : ..... |
| 6. | कम्प्यूटर पर हिन्दी में कामकाज की स्थिति | : ..... |
| 7. | मूल पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति | : ..... |
| 8. | हिन्दी टंकण/आशुलिपि/अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण की स्थिति | : ..... |
| 9. | विभिन्न बैठकों की कार्यसूची/कार्यवृत्त हिन्दी में तैयार करने की स्थिति | : ..... |
| 10. | राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/तिमाही बैठकों/प्रतियोगिताओं/अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभागिता | : ..... |
| 11. | राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में तकनीकी नवाचार | : ..... |
| 12. | प्रतिष्ठित पत्रिका (आरएनआई / आईएसएसएन /यूजीसी केयर लिस्ट सहित) में हिन्दी में जीवनी / समीक्षा / कहानी / लघुकथा/ आलेख/कविता/अनुदित सामग्री/उपन्यास के प्रकाशन की स्थिति | : ..... |

| | | |
|---|---|---|
| 13. | प्रयोगशाला इत्यादि में प्राप्त शोध परिणामों का प्रतिवेदन हिन्दी में तैयार करने की स्थिति | : ..... |

**घोषणा पत्र**

मैं.....(नाम).....(पदनाम/विभाग) घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन प्रपत्र में दी गईं सभी सूचनाएँ एवं संलग्न साक्ष्य मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य हैं। यदि किसी स्थिति में यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य असत्य हैं तो मेरा आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

**अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर**
**दिनांक : .....**

**सामान्य निर्देश :**

1. समूह 'ख' के अधिकारी/कर्मचारी संवर्ग में 'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार' हेतु विश्वविद्यालय के समस्त विभागों/अनुभागों/केन्द्रों में नियमित रूप से कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी, भले ही वे तकनीकी क्षेत्र के हों या प्रशासनिक क्षेत्र के, पात्र होंगे।
2. आवेदन प्रपत्र के साथ सभी साक्ष्यों की स्वप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करें।
3. निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. विधिवत् भरा हुआ प्रपत्र विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी द्वारा अग्रेषित एवं अनुशंसित होना चाहिए।
5. एक बार आवेदन प्रपत्र (साक्ष्य/दस्तावेजों सहित) जमा होने के उपरांत उसमें अन्य कोई दस्तावेज जोड़े या घटाए नहीं जा सकेंगे।
6. आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न घोषणा-पत्र हस्ताक्षरित न होने पर आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
7. दस्तावेजों के साक्ष्य के तौर पर केवल उन्हीं पत्रों/आदेशों/परिपत्रों/दस्तावेजों को मान्य किया जायेगा जिन्हें वास्तव में सम्बन्धित कार्यालय द्वारा जारी किया गया है आवश्यक होने पर समिति द्वारा किसी भी समय किसी भी संलग्न दस्तावेज की जाँच की जा सकती है।
8. 'एक ही प्रकृति के दस्तावेज' या 'दस्तावेजों की पुनरावृत्ति' स्वीकार्य नहीं होगी।
9. पदक प्रदान किए जाने में समिति/सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

**समूह 'ग' कर्मचारी संवर्ग**

# राजभाषा पदक एवं पुरस्कार हेतु आवेदन प्रपत्र

**वित्तीय वर्ष 2024–25 (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक) के दौरान कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के उत्कृष्ट प्रयोग हेतु पुरस्कार योजना**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कर्मचारी का नाम | : ..... |
| 2. | पदनाम | : ..... |
| 3. | विभाग / अनुभाग<br>(जिसमें संदर्भित वित्तीय वर्ष में पदस्थ थे) | : ..... |
| 4. | नियंत्रण अधिकारी का नाम व पदनाम | : ..... |
| 5. | हिन्दी ज्ञान की स्थिति (कार्यसाधक / प्रवीण) | : ..... |
| 6. | फाइलों पर हिन्दी टीप / टिप्पणियों की स्थिति | : ..... |
| 7. | कम्प्यूटर पर हिन्दी में कामकाज की स्थिति<br>हिन्दी टंकण / आशुलिपि का ज्ञान | : ..... |
| 8. | मूल पत्राचार / नोटशीट में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति | : ..... |
| 9. | अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के हिन्दी में उत्तर | : ..... |
| 10. | हिन्दी टंकण / आशुलिपि / अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण की स्थिति | : ..... |
| 11. | विभिन्न बैठकों की कार्यसूची / कार्यवृत्त हिन्दी में तैयार करने की स्थिति | |
| 12. | राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यशालाओं / प्रतियोगिताओं / अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभागिता | : ..... |
| 13. | राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में तकनीकी नवाचार की स्थिति | : ..... |
| 14. | प्रयोगशाला इत्यादि में प्राप्त शोध परिणामों का प्रतिवेदन हिन्दी में तैयार करने की स्थिति | : ..... |
| 15. | हिन्दी संबंधी प्रशिक्षण / उपाधि / डिप्लोमा | : ..... |
| 16. | अन्य कोई संबंधित जानकारी | : ..... |

पृष्ठ क्र. **1** से **2** तक

## घोषणा पत्र

मैं .....(नाम).....(पदनाम/विभाग) घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन प्रपत्र में दी गईं सभी सूचनाएँ एवं संलग्न साक्ष्य मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य हैं। यदि किसी स्थिति में यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य असत्य हैं तो मेरा आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

| | |
|---|---|
| **(नियंत्रण अधिकारी/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर) दिनांक एवं मुहर सहित** | **(कर्मचारी के हस्ताक्षर)** |

**सामान्य निर्देश :**

1. समूह 'ग' के कर्मचारी संवर्ग में 'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार' हेतु विश्वविद्यालय के समस्त विभागों/अनुभागों/केन्द्रों में नियमित रूप से कार्यरत समस्त कर्मचारीगण पात्र होंगे अर्थात् नियमित वेतनमान प्राप्त/दैनिक वेतन भोगी/आउटसोर्स कर्मचारीगण पात्र नहीं होंगे।
2. आवेदन प्रपत्र के साथ सभी साक्ष्यों की स्वप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करें।
3. विधिवत् भरा हुआ प्रपत्र नियंत्रण अधिकारी द्वारा अग्रेषित एवं अनुशंसित होना चाहिए।
4. नियंत्रण अधिकारियों/विभागाध्यक्षों से निवेदन है कि वे आवेदन अग्रेषित करते समय कर्मचारी द्वारा प्रदत्त हिन्दी संबंधी सूचनाओं की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
5. निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. एक बार आवेदन प्रपत्र (साक्ष्य/दस्तावेजों सहित) जमा होने के उपरांत उसमें अन्य कोई दस्तावेज जोड़े या घटाए नहीं जा सकेंगे।
7. कर्मचारी सूचनाओं से सम्बन्धित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों/नोटशीट/पत्रों/ई–मेल भेजने के साक्ष्य आदि की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।
8. आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न घोषणा-पत्र हस्ताक्षरित न होने पर आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
9. तकनीकी/प्रोफेशनल/विशिष्ट योग्यता वाले पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारीगण आवेदन में अपनी विशिष्ट योग्यता से हिन्दी में किए गए नवाचार का स्पष्ट उल्लेख करें।
10. दस्तावेजों के साक्ष्य के तौर पर केवल उन्हीं पत्रों/आदेशों/परिपत्रों/दस्तावेजों को मान्य किया जायेगा जिन्हें वास्तव में सम्बन्धित कार्यालय द्वारा जारी किया गया है।
11. 'एक ही प्रकृति' के 'प्रपत्र' या 'प्रपत्रों की पुनरावृत्ति' स्वीकार्य नहीं होगी।
12. पदक प्रदान किए जाने में समिति/सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।